

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र05(2)बजट गै0यो0 (आवंटन)-02/2015/47/439/खाद्य,पटना-15,दिनांक -

प्रेषक,

रमाशंकर प्रसाद दफ्तुआर,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम,
वैशाली (हाजीपुर) ।

विषय:-

मुख्य शीर्ष- 3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0003 जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण) मांग सं0-18 विपत्र कोड सं0-एन0 3456000010003 गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु रूपये 67,000 (सड़सठ हजार) मात्र का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, पत्रांक 295/वि0 दिनांक 24.03.2015 तथा पत्रांक 3429/वि0 (02) दिनांक 01.04.2015 में निहित निदेश के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 307 दिनांक 19.11.2015 द्वारा स्व0 रमाशंकर प्रसाद तत्कालीन अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, वैशाली (हाजीपुर) को बर्हिवासी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत संलग्न तालिका के अनुसार कॉलम 4 में उल्लिखित राशि आवंटित किये जाते हैं :-

इकाईयों		वर्ष 2015-16 का आय-व्ययक उपबंध	वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु आवंटित राशि
1	2	3	4
01 01	वेतन	6,24,33,000
01 02	विशेष वेतन	12,000
01 03	जीवन यापन भत्ता	7,68,22,000
01 04	मकान किराया भत्ता	83,88,000
01 05	परिवहन भत्ता	7,86,000
01 06	चिकित्सा भत्ता	3,99,000
01 07	अन्य भत्ता	1,86,000
	वेतन एवं भत्ते का योग	14,90,26,000

05 01	पुरस्कार	25,000	
06 01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	2,00,000	67,000
11 01	यात्रा व्यय	15,00,000
13 01	कार्यालय व्यय	15,00,000	-----
13 02	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव	3,00,000
13 03	दूरभाष	4,00,000
13 04	विद्युत प्रभार	10,00,000
13 05	विधि प्रभार	2,00,000
13 06	वर्दी/पोशाक	2,00,000
13 07	विद्युत प्रभार डी०पी०एस०	4,00,000
14 01	किराया महसूल एवं कर	50,000
20 02	कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	25,000
20 03	प्रशिक्षण व्यय	8,00,000
21 01	सामग्री एवं पूर्तियाँ	41,000
26 01	विज्ञापन और प्रकाशन	6,00,000
28 01	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	55,00,000
51 01	मोटर गाड़ी	1,000
कुल योग :-		16,17,68,000	67,000

कुल:-67,000 (सड़सठ हजार) मात्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक प्र०-०२ वि०-०१-३७/२०१२-३०७ दिनांक १९.११.२०१५ द्वारा स्व० रमाशंकर प्रसाद तत्कालीन अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, वैशाली (हाजीपुर) को बर्हिवासी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

२. आवंटित राशि मुख्य शीर्ष ३४५६ सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष ००, लघु शीर्ष ००१ निदेशन तथा प्रशासन उपशीर्ष ०००३ जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण) मांग संख्या १८ विपत्र कोड सं० एन० ३४५६००००१०००३ गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में विकलनीय होगी ।

३. राशि की निकासी अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, वैशाली (हाजीपुर) द्वारा जिला कोषागार, वैशाली (हाजीपुर) से कर स्व० रमाशंकर प्रसाद तत्कालीन अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, वैशाली (हाजीपुर) की पत्नी गीता प्रसाद फ्लैट न०-१८४, ग्रांड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, पटना, पो०-जी०पी०ओ० थाना-कोतवाली को भुगतान किया जायेगा ।

4. राशि की निकासी पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में की जायेगी । अधिक निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट गै0यो0 (आवंटन)-02/2015- /खाद्य,पटना-15, दिनांक-
प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-


सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट गै0यो0 (आवंटन)-02/2015- /खाद्य,पटना-15, दिनांक-
प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, वैशाली (हाजीपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट गै0यो0 (आवंटन)-02/2015-47(47)खाद्य,पटना-15, दिनांक-
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी
02 एवं 05/प्रधान सचिव कोषांग, आईटी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता एवं संरक्षण
विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव ।